<u>न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम</u> श्रेणी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—1569 / 2004 संस्थित दिनांक—29.12.2004 फाई. क.234503000182004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — **अ<u>भियोजन</u> // विरुद्ध** //

सुबेलाल पिता जयसिंग, जाति—बैगा, उम्र—26 वर्ष, निवासी ग्राम बैगाटोला चकरवाही थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

> // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-27/09/2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 323, 506, का आरोप है कि उसने घटना दिनांक—15.10.04 समय 20:00 बजे स्थान चकरवाही बैगाटोला, आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत प्रार्थिया कमलाबाई को उसकी स्त्रीशुदा लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया तथा प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कमलाबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक को आरोपी सुबेलाल बैगा ने रात्रि 8:00 बजे बुरी नियत से उसकी ईज्जत लेने के आशय से उसका हाथ एवं बाल पकड़कर उसे पटक दिया, तब प्रार्थिया के चिल्लाने पर मौके पर गवाह शांताबाई एवं खुशलाल के पहुंचने पर आरोपी वहां से

भाग गया। प्रार्थिया को आई चोटों के संबंध में उसका मुलाहिजा कराया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से धारा—354, 506, 323 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा, प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 120/04 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354, 323, 506 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

- 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—15.10.04 समय 20:00 बजे स्थान चकरवाही बैगाटोला, आरक्षी केन्द्र मललाजखण्ड के अंतर्गत प्रार्थिया कमलाबाई को उसकी स्त्रीशुदा लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया को बाल पकड़कर जमीन पर पटककर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थियां को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05— साक्षी कमला अ.सा.08 ने कथन किया है वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 10 वर्ष पूर्व शाम के समय ग्राम बैगाटोला चकरवाही की है। घटना के समय उसका गांव के मैदान में आरोपी सुबेलाल के साथ विवाद हुआ था, जो गांव वालों की समझाईश पर शांत हो गया था। बाद में लोगां के कहने पर उसने थाना मलाजखण्ड में घटना की शिकायत प्रपी—04 दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी—05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 06— साक्षी कमला अ.सा.08 के अनुसार अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 15.10.2004 को शाम 4:30 बजे जब वह मैदान से हेमलता के साथ लौट रही थी, तभी सामने से आरोपी ने आकर बुरी नियत से ईज्जत लेने की नियत से उसका बांया हाथ पकड़ा और सिर के बाल पकड़कर जमीन में पटक दिया, उसके द्वारा बचाव में चिल्लाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शांताबाई, सुखलाल आये तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया, फिर उसने घर आकर अपनी मां को घटना की पूरी बात बताई और अगले दिन बस्ती में मीटिंग में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद वह थाना रिपोर्ट करने अपनी मां के साथ गई थी। साक्षी ने प्रपी–06 का ए से ए भाग का कथन देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता

हो गया है और वह आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

- 07— साक्षी हेमलता अ.सा.02 ने कथन किया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानती है एवं प्रार्थियां कमलाबाई को भी जानती है। वह घटना के बारे में नहीं जानती। उसे उसके पुलिस बयान के अ से अभाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा बयान पुलिस को न देना कहा। ऐसा नहीं है कि आरोपी को बचाने के लिए वह झूठा बयान दे रही है।
- 08— साक्षी शांताबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानती है। वह घटना के बारे में नहीं जानती। उसे उसके पुलिस बयान के अ से अ भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा बयान पुलिस को न देना कहा।
- 09— साक्षी खुशलाल अ.सा.05 ने कथन किया है वह आरोपी सुबेलाल एवं प्रार्थियां कमलाबाई को नहीं पहचानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि शुक्रवार शाम 7:00 बजे की बात है, स्कूल मैदान तरफ से बचाव—बचाव चिल्लाने की आवाज आई थी, कमलाबाई को सुबेलाल ने बुरी नियत से पकड़ कर नीचे पटक दिया था, आरोपी ने कमला बाई को चिल्लाने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दिया था, कमला बाई के बताने पर पता चला की उसके हाथ में खरोंच के निशान थे एवं चोट लगी थी, यदि कमला बाई नहीं चिल्लाती तो आरोपी कमलाबाई की ईज्जत ले लेता, गांव में जब मीटिंग बैटी थी, तब आरोपी ने अपराध कबूल किया था। साक्षी ने पुलिस बयान प्रपी—2 का बयान देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, पुलिस ने उसका बयान लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता तथा वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता।

- साक्षी बुधियारिन बाई अ.सा.०६ ने कथन किया है आरोपी एवं प्रार्थिया को नहीं पहचानती। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि लड़की कमलाबाई लेटरींग करने के बाद रोते हुये घर आई थी, स्कूल मैदान के तरफ से उसकी लड़की जब घर वापस आ रही थी, उसी समय सामने से आरोपी सुबेलाल आया और बुरी नियत से ईज्जत लेने की नियत से बांया हाथ पकड़कर और सिर के बाल पकड़ कर कमलाबाई को पटक दिया था, कमलाबाई ने बचाव-बचाव चिल्लाई तो आरोपी भाग गया, चिल्लाने पर आरोपी ने लड़की को बोला की चिल्ला मत नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा, चिल्लाने की आवाज सुनकर शांताबाई और खुशलाल आये थे और तब सुबेलाल देखकर भाग गया था, यदि कमलाबाई नहीं चिल्लाती तो सुबेलाल कमलाबाई की ईज्जत ले लेता, सुबेलाल से पूछने पर उसने अपनी गलती मीटिंग में स्वीकार किया था। साक्षी ने प्रपी-3 का अ से अ भाग का बयान देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, यदि पुलिस ने उसका बयान लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकती तथा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
- 11— साक्षी लक्ष्मीप्रसाद अ.सा.03 ने कथन किया कि वह आरोपी को जानता है। उसके समक्ष आरोपी सुबेलाल को गिरफ्तार नहीं किये थे। गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—1 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने हस्ताक्षर थाने में किया था।
- 12— साक्षी उमाशंकर अ.सा.04 ने कथन किया है वह आरोपी को पहचानता है, जो उसके गांव का है। उसके समक्ष आरोपी सुबेलाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके लाये थे। गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी—1 है, जिसके

ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए नहीं देखा था, लोगो के बताये अनुसार बताया कि उसे गिरफ्तार किये थे, उसने पुलिसवालों के कहने पर गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर किया था।

- 13— साक्षी डी०आर० वरकड़े अ.सा.०७ ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.10.2004 को थाना मलाजखंड में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रधान आरक्षक सखाराम डहरिया उसी थाने में उसके अधीनस्थ कार्य कर रहा था, जिसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी—4 लेख किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर सखाराम के हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचानता है, क्योंकि उसने उसके अधीनस्थ लगभग दो वर्ष कार्य किया है। दिनांक 17.10.04 को प्रकरण की डायरी प्राप्त होने पर घटनास्थल का नक्शा प्रपी—5 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को कु० कमलाबाई, हेमलता, शांताबाई, खुशलाल, सुरपसिंह, बुधियारोबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 25.10.04 को आरोपी सुबेलाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—1 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके एवं द से द भाग पर आरोपी सुबेलाल के हस्ताक्षर लिये थे, विवेचनापूर्ण कर प्रकरण की डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।
- 14— साक्षी डी०आर० वरकड़े अ.सा.०७ ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—4 में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट लिखित या मौखिक की गई है उसका उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार मौखिक की गई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाया था, उसने मौका

नक्शा प्रपी—5 थाने में तैयार किया था। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर बनाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल स्कूल के पास रहवासी इलाका है, जहां पर लोग रहते है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था और गवाहों को पढ़कर नहीं सुनाया था। न्यायालय में यदि अभियोजन साक्षी खुशलाल व बुधियारीनबाई ने कहा हो कि उन्होंने कोई बयान दिये है, तो उनका कहना गलत है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रपी—5 झूठी किया था, उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना किया था।

फरियादी कमलाबाई अ.सा.०८ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वर्तमान में उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। प्रकरण में विवेचक साक्षी के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार कर घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। स्वयं फरियादी कमलाबाई अ.सा.०८ ने भी घटना के समय आरोपी से केवल मौखिक विवाद होना व्यक्त कर आरोपित अपराधों से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी कमलाबाई को उसकी स्त्रीशुदा लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर स्वेच्छ्या साधारण उपहति कारित किया तथा प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः आरोपी सुबेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 323, 506 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

16- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में आरोपी दिनांक 26.09.2017 से 3.10.2017 तक, दिनांक 13.07.2011 से 18.07.2011 तक, दिनांक 10.01.2016 से 22.01.2016 तक तथा दिनांक 31.08.2017 से 07.09.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

ELIMINA PAROTA SU